राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन 2017-2018

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

2017–2018

कारागार विभाग

राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	कारागार विभाग का उद्देश्य	1
2.	बंदी क्षमता एवं संख्या	1-2
3.	सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम	
	3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)	2-3
	3.2 बंदियों की समयपूर्व रिहाई	3-4
	3.3 बंदियों का बंदी खुले शिविर में स्थानान्तरण	4
	3.4 बन्दियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई	5
	3.5 ई-हिस्ट्री टिकिट	5
	3.6 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण	5-6
	3.7 कारागृह उद्योग	6
	3.8 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम	
	अ. साक्षरता	7
	ब. उच्च शिक्षा	8
	स. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	8
	द. तकनीकी शिक्षा	9-10
	3.9 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा	11
	3.10 बंदी कल्याण कोष	11
	3.11 बंदी बैण्ड	12
	3.12 अन्य कार्यक्रम	12
4.	चिकित्सा सुविधायें	12-13
5.	मानव संसाधन	14
	5.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम	15-17
	5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास	17
	5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	18
6.	नवाचार	18
7.	विभाग का स्वीकृत बजट, आय व्यय का विवरण	19-20

कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2017-2018

1. कारागार विभाग का उद्देश्य

न्यायालय से अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति समानता का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. बंदी क्षमता एवं संख्या

राज्य में कुल 9 केन्द्रीय कारागृह, 1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2 जिला कारागृह "ए" श्रेणी, 23 जिला कारागृह "बी" श्रेणी, 60 उप कारागृह, 29 खुले बंदी शिविर, 02 महिला बंदी सुधारगृह, 01 किशोर बंदी सुधारगृह, कुल 127 कारागृह हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 21879 है।

केन्द्रीय कारागृह में आजीवन कारावास तथा 10 साल से अधिक सजा के दण्ड़ित बंदियों को रखा जाता है। उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर में राज्य के हार्ड कोर बंदियों को रखा जाता है। जिला कारागृह "ए" श्रेणी में 10 वर्ष तथा अन्य जिला कारागृहों में 3 साल तक की सजा से दण्ड़ित बंदियों को रखा जाता है। समस्त कारागृहों में विचाराधीन बंदियों को यथासंभव उनके विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों के न्यायालय के क्षेत्राधिकारानुसार अभिरक्षा में रखा जाता है।

युवा बंदी सुधारगृह में 18 से 21 साल तक की उम्र के बंदी रखे जाते हैं तथा महिला बंदी सुधारगृहों में महिला बंदियों को रखा जाता है।

वर्ष 2016 के अन्त में (31.12.2017) को राज्य की कारागृहों में कुल 19724 बंदी निरूद्ध थे, इनमें 14126 विचाराधीन बंदी, 5544 दण्ड़ित बंदी, 47सिविल बंदी तथा 07 डेटेन्यू बंदी थे। गत् 5 वर्षों में राज्य में निरूद्ध बंदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है :-

वर्ष	बंदी क्षमता	विचाराधीन बंदी	दण्ड़ित बंदी	सिविल बंदी	डेटेन्यू बंदी	कुल बंदी
2013	16622	13299	5908	90	00	19297
2014	17191	14608	5631	112	08	20359
2015	19607	13871	5736	67	05	19679
2016	19874	14817	5346	189	11	20363
2017	21879	14126	5544	47	07	19724

बंदियों की निरन्तर बढ़ती संख्या तथा विभिन्न कारागृहों में जनाधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में बंदी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। दौसा में 776 बंदी क्षमतातथा कोटा में 1000 बन्दी क्षमता का कारागृह निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही 5 संभाग मुख्यालय केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर पर 100-100 बदी क्षमता तथा केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में 50 बन्दी क्षमता के महिला बन्दी सुधारगृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3. सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं कार्यक्रम

3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें कारावास कालीन अवकाश सुविधा प्रदान की जाती हैं। बंदियों को अधिकतम 15 दिवस का आपात पैरोल बंदी के नजदीकी रिश्तेदार यथा पिता, माता, पत्नी, पति, बच्चे, भाई अथवा अविवाहित बहिन की गम्भीर बीमारी, नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा के कारण जीवन और सम्पदा को क्षति, स्वयं की शादी, पुत्र/पुत्री की शादी एवं माता पिता के न होने पर भाई/बहिन की शादी पर दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। दंडित गर्भवती महिला बंदी द्वारा जेल से बाहर प्रसव हेतु आवेदन पर उसे 45 दिवस का पैरोल स्वीकृत किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

विभाग में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में बंदियों को राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत पैरोल का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पैरोल स्वीकार कर्ता	रिहा किये गये बंदियों की संख्या		
		वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017
1	जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृत नियमित पैरोल	1372	988	1279
2	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिया गया आपात पैरोल	1	0	1
3	संबंधित अधीक्षक द्वारा दिया गया आपात पैरोल	20	14	0
4	सबंधित जिला कलैक्टर द्वारा दिया गया आपात पैरोल	120	81	126
5	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा एन.डी.पी. एस. एक्ट के बंदियों को दिया गया पैरोल	1	0	1
6	संबंधित न्यायालयों के आदेशों से पैराल पर रिहा	345	246	253
7.	राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंषा पर स्थाई पैरोल पर रिहा	177	133	138
	योग	2036	1462	1818

3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करके इन्हें समाज में पुर्नस्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग ऑफ सेन्टेन्सेज) रूल्स, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहो पर सलाहकार मंडलों का गठन किया गया है। सलाहकार मण्डल बंदियो के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते है और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डल

की सिफारिश के आधार पर बंदियों को समय पूर्व छोड़े जाने या ना छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है। वर्ष 2015 से 2017 तक कारागार विभाग में राज्य सरकार द्वारा कुल 16बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से समयपूर्व रिहा किये बंदियों की संख्या
2015	02
2016	01
2017	13

3.3 बंदियों का बंदी खुले शिविरों में स्थानान्तरण

बंदियों में अच्छे एवं स्व-अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व बंदी खुले शिविरों में रखकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंषा पर बंदियों को खुले बन्दी शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बन्दी शिविरों में बन्दी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खुले शिविरों के बंदियों को उनके द्वारा अर्जित राशि स्वयं के पास रखने, स्वयं के लिए आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय करने एवं बचत को अपने परिवार वालों को भेजने की पूर्ण सुविधा है। बंदियों को खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वहन कर सकें एवं उनका परिवार विघटित होने से बच सके।

दिनांक 31.12.2017 को29 खुले शिविर संचालित किये जा रहे है, जिनकी कुल बंदी क्षमता 1337 है। वर्ष 2017 में 322बंदियों को राज्य के विभिन्न बंदी खुला शिविरों में भिजवाया गया।

3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई :-

राजस्थान प्रिजन्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के संशोधित नियम 1994 के प्रावधानानुसार कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिनके द्वारा 20, 30 एवं 40 दिवसीय नियमित पैरोल का संतोषजनक रूप से उपभोग कर लिया है, ऐसे बंदियों को नियम -9 के तहत स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015 से 2017 तक कुल **415** बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से स्थाई पैरोल पर रिहा किये बंदियों की संख्या
2015	175
2016	113
2017	127

3.5 ई- हिस्ट्री टिकिट:-

हिस्ट्री टिकिट एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है जिसमें बन्दी के जेल में दाखिल होने से रिहा होने तक बिताए गए समय से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं और विशेष रूप से बन्दी से संबंधित आदेश को निष्ठापूर्वक जेल प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक बन्दी (दण्डित/विचाराधीन) को एक हिस्ट्री टिकिट उपलब्ध कराये जाने के क्रम में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बन्दियों के लिए दिनांक 31.01.2016 को ई-हिस्ट्री टिकिट CHRI के सहयोग से लॉंच किया जा चुका है। ई-हिस्ट्री टिकिट के माध्यम से बन्दी अपनी सजा संबंधी विवरण, रेमीशन, जेल दण्ड, चिकित्सा संबंधी विवरण व संभावित रिहाई इत्यादि कम्प्यूटर पर देख सकेंगे।

3.6 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित है। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि,

जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन, सदस्य व प्रभाराधिकारी, कारागृह सदस्य सचिव होते है। इस समिति द्वारा नियमित बैठक कर लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते है।

3.7 कारागृह उद्योग

राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कारपेन्ट्री, होजरी, लुहारी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पावर चलित मशीनें स्थापित की गई है। राज्य की तीन केन्द्रीय कारागृहों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर) में डेजर्ट कूलर निर्मित करने हेतु उद्योग प्रारंभ कर बंदियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। कारागार उद्योगों में प्रशिक्षित होने के उपरान्त बंदियों द्वारा उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 130/- रूपये एवं कुशल श्रमिक को 150/- रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्ष 2015 से 2017 तक राज्य के कारागृहों की उद्योगशाला में बंदियों द्वारा वर्षवार निम्नानुसार उत्पादन किया गया :-

वर्ष	राज्य की उद्योगशालाओं में उत्पादन (राशि लाखों में)
2015	153.10
2016	87.87
2017	58.28

3.8 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम

(अ) साक्षरता

निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति राजस्थान शिक्षा प्रसार समिति द्वारा भी साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) के सहयोग से भी बंदियों को साक्षर करने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। राज्य की बड़ी कारागृहों में जहां अधिक संख्या में बंदी रहते है, बंदी बैरकों को आखरधाम के रूप में अभिहित कर साक्षरता को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में **वर्षवार** साक्षर किये गये बंदियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	राज्य कारागृहों में साक्षर किये गये बंदियों की संख्या
2015	2667
2016	7107
2017	8139

(ब) उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्नति करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2017 तक विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बंदियों का विवरण निम्न है :-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष 2015-16 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2016-17 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
1.	सैकेण्डरी	73	46	87
2.	सीनियर सैकेण्डरी	39	0	17
3.	स्नातक प्रथम	0	37	55
4.	स्नातक द्वितीय	0	0	0
5.	स्नातक तृतीय	6	2	1
6.	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध	0	1	0
7.	स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध	8	20	5
8.	अन्य परीक्षा	168	65	152
	योग	**294**	**171**	**317**

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इग्नू के अधिकांश पाठ्यक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलम्बी हो सकेंगे एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुर्नस्थापित होकर अपना स्थान बना सकेगें।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि में इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य के कारागृहों में निरूद्ध बंदियों ने निम्नानुसार वर्षवार अध्ययन हेतु प्रवेश लिया, जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष 2015-16 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2016-17 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2017-18 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
1065	1044	719

(द) तकनीकी शिक्षा

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं अजमेर (हाल- बीकानेर) में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आई.टी.आई. संचालित की जा रही है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर एवं वायरमैन पाठ्यक्रमों में दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा कारपेन्ट्री, कटिंग एवं स्विईंग में एक वर्षीय प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। इसी प्रकार केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में फीटर एवं डीजल मैकेनिक का दो वर्षीय प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में उक्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2015

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्ट्री (एक वर्ष)	2015-16	13	1	डीजल (1 वर्ष) मैकेनिक	2015-16	9
2	कटिंग एवं स्विइिग (एक वर्ष)	2015-16	7	2	-	-	-
3	फिटर (2 वर्ष)	2015-17	15	-	-	-	-
4	वायर मैन (2 वर्ष)	2015-17	11	-	-	-	-
	योग		46		योग		9

वर्ष 2016

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2016-17	19	1	डीजल मैकेनिक	2016-17	26
2	कटिंग एवं स्वीईग	2016-17	20	2	फिटर	2016-18	13
	योग		39		योग		39

वर्ष 2017

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर				(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर हाल बीकानेर			
क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	क्र. सं.	प्रशिक्षण व्यवसाय	प्रशिक्षण सत्र	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	कारपेन्टर	2017-18	11	1	डीजल मैकेनिक	2017-18	19
2	कटिंग एवं स्वीईग	2017-18	11	2	फिटर	2016-18	13
3	फिटर	2017-19	16				
4	वायरमैन	2017-19	19				
	योग		57		योग		32

3.9 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं कारागृहों में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकायें, पुस्तकें आदि बंदियों को उपलब्ध है। कारागृहों में टी.वी., रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय कारागारों में उपलब्ध प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाये जाते हैं। बंदियों को खेलकूद, गीत-संगीत, वाद-विवाद, लेखन चित्रकला आदि की प्रतियोगितायें भी करवाई जाती है। राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों में बंदियों के मनोरंजन हेतु केबल कनेक्शन स्थापित कराये गये हैं।

3.10 बंदी कल्याण कोष

कारागार विभाग में बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष संचालित किया जाता है। बंदियों को नजर का चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद, मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की अवधि में बंदी कल्याण कोष से निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

क्र.सं.	वर्ष	बंदी कल्याण कोष से व्यय की राशि का विवरण
1.	2015	49,10,548.00
2.	2016	2,54,634.00
3.	2017	2,69,550.00

3.11 बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर पर बंदी बैण्ड कार्यरत है। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर बैण्ड़ स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं। बैण्ड़ से प्राप्त आय का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता हैं तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि के लिए उपलब्ध रहता है। वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में जेल बैण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	जेल बैण्ड़ से प्राप्त राशि	बैण्ड़ के साजो समान पर व्यय की गई राशि	बैण्ड़ पार्टी के बंदियों में वितरित की गई राशि
1.	2015	3,31,897.00	57,265.00	1,66,609.00
2.	2016	4,54,722.00	10,091.00	2,22,031.00
3.	2017	3,34,490.00	56,460.00	2,36,515.00

3.12 अन्य कार्यक्रम

राज्य के कारागृहों में नियमित योगा, विपश्यना एवं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। बंदियों को सुधार के प्रति प्रेरित करने के लिये समय-समय पर नैतिक शिक्षा विभिन्न धर्म गुरूओं के माध्यम से दी जाती है।

4. चिकित्सा एवं सुविधायें

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख रेख की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस हेतु राज्य की समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर पूर्ण कालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्ण कालीन मेलनर्स के पद

स्वीकृत है तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन चिकित्साधिकारियोंएवंपूर्ण कालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत है।

राज्य की केन्द्रीय कारागृहों एवं जिला कारागृह ''ए'' श्रेणी पर चिकित्सालय एवं ''बी'' श्रेणी जिला कारागृहों पर डिस्पेन्सरियां स्थापित की हुई है जहां पर बंदियों का ईलाज किया जाता है। चिकित्सक की राय अनुसार उन्हें संबंधित विशेषज्ञों की चिकित्सकीय सलाह एवं ईलाज हेतु वहां स्थित राजकीय चिकित्सालयों में भी भेजा जाता है। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजी लैब भी स्थापित है जिसमें बंदियों की विभिन्न बिमारियों की जांच हेतु मशीनों एवं उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, (सोनोग्राफी) एक्स-रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की व्यवस्था हैं। लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस), 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 2 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत हैं। समस्त 9केन्द्रीय,1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2जिला कारागृह ''ए'' श्रेणी, 19 जिला कारागृह ''बी'' श्रेणी एवं महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर पर एम्बूलेन्स की सुविधा भी सुलभ है।

राज्य के कारागृहों में निरूद्ध समस्त बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्केल अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दंडित बंदियों को बिस्तर, कम्बल, वस्त्रादि भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकता होने पर विचाराधीन बंदियों को भी बिस्तर, कम्बल दिये जाते हैं।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर पर 01 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक) का पद सृजित है तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 01 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) एवं 01 क्लीनिकल साईक्लोजिस्ट के भी पद सृजित हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर ई.सी.जी. मशीनें भी उपलब्ध है।

गत तीन वर्षो में बंदियों को भोजन, वस्त्रादि एवं चिकित्सा सुविधा पर प्रति बंदी औसत वार्षिक व्यय निम्न है :-

2015-16	रूपये 9487.00
2016-17	रूपये 9813.00
2017-18 (दिनांक 31.12.2017 तक)	रूपये 11775.00

5. मानव संसाधन

राज्य के विभिन्न कारागृहों में स्वीकृत सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी पदवार उपलब्धता (31.12.2017 की स्थिति में) निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	2015		2016		2017	
		स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
1.	अधीक्षक ग्रेड-I	11	3	11	3	11	1
2.	अधीक्षक ग्रेड-II	7	2	7	2	7	2
3.	उपाधीक्षक	36	23	36	22	36	21
4.	कारापाल	47	7	51	6	76	7
5.	उप कारापाल	55	19	54	17	188	133
6.	सहायक कारापाल	145	82	149	70	0	0
7.	महामुख्य प्रहरी	10	7	10	6	0	0
8.	मुख्य प्रहरी	602	413	612	391	613	496
9.	प्रहरी	2887	1669	2904	1555	2907	1325
	योग	3800	2225	3834	2072	3838	1985

भारत सरकार के आदर्श जेल मेन्यूअल के अनुसार बंदियों और सुरक्षाकर्मियों के मध्य 1:6 का अनुपात निर्धारित किया है अर्थात् छः बंदियों पर एक सुरक्षाकर्मी की उपलब्धता आवश्यक बताई गई है। राज्य में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी पर औसतन वर्ष 2015 में 09बन्दी, वर्ष 2016 में 10एवं वर्ष 2017 में 10बंदियों का उत्तरदायित्व रहा है। सुरक्षा कर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कारागृहों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिये अस्थायी तौर पर 500 बोर्डर होमगार्ड स्वयंसेवक एवं 300 शहरी/ग्रामीण होमगार्ड स्वयंसेवक के नियोजन की स्वीकृति प्रदान की है जिससे वर्तमान में कर्मी:बंदी अनुपात लगभग 1:7 है।कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अवैध सामग्री की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की 13वीं बटालियन के 836 जवानों को अलग-अलग कारागृहों पर लगाया गया है।

कारागृहों में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2017 में 180वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियाँ प्रदान की गई है।

5.1 प्रशिक्षण

कारागार विभाग द्वारा समस्त नवनियुक्त एवं पदोन्नति परीक्षा में सफल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर कार्यरत है। वर्तमान में तेहरवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता हो गई है।

वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में विभाग के अधिकारियों को निम्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिलवाया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष - 2015

क्र. सं.	संस्थान का नाम	अधीक्षक ग्रेड-I	अधीक्षक ग्रेड-II	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	सहायक कारापाल	महामुख्य प्रहरी	मुख्य प्रहरी	प्रहरी	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक
1	कारागार प्रशिक्षण संस्थान	–	–	–	–	–	7	2	55	16	–	–
2	हरिशचन्द्र माथुर राज. राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	4	1	26	–	–	–	–	–	–	5	14
3	राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

विभाग के लेखा सेवा के अधिकारियों को निम्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिलवाया गया है :-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	मुख्य लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	लेखाकार	कनिष्ठ लेखाकार
1.	हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	–	–	2	1	–

वर्ष - 2016

क्र. सं.	संस्थान का नाम	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	सहायक कारापाल/ महामुख्य प्रहरी	मुख्य प्रहरी	प्रहरी	व्याख्याता
1	कारागार प्रशिक्षण संस्थान	02	03	06	12	59	01	-
2	हरिशचन्द्र माथुर राज. राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	03	-	-	-	01	01	01
3	राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	-	-	-	-	-	02	-

विभाग के लेखा सेवा के अधिकारियों को निम्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिलवाया गया है :-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	मुख्य लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	लेखाकार	कनिष्ठ लेखाकार
1.	हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	-	01	-	-	-

वर्ष - 2017

क्र. सं.	संस्थान का नाम	अधीक्षक ग्रेड-I	अधीक्षक-ग्रेड-II	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
1	कारागार प्रशिक्षण संस्थान	-	-	-	-	70	115	22
2	हरिशचन्द्र माथुर राज. राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	-	2	9	2	4	0	2
3	राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	-	-	2	-	-	-	2
4	जिला कारागृह, गुडगांव(हरियाणा)	-	-	3	1	-	-	-

5	बी.पी.आर. एण्ड डी.	–	–	4	–	–	–	–
6	आई.सी.ए. चण्डीगढ	–	–	1	–	–	–	–
7	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	–	–	2	–	3	–	–

विभाग के लेखा सेवा के अधिकारियों को निम्न प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिलवाया गया है :-

क्र. सं.	संस्थान का नाम	मुख्य लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	लेखाकार	कनिष्ठ लेखाकार
1.	हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	1	1	–	–	–
2	वित्त विभाग	–	–	1	–	1

5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत कर्मियों के कल्याणार्थ, कार्मिक कल्याण न्यास कार्यरत है जो कि पूर्णतयः कर्मचारियों के अशंदान से संचालित किया जाता है। वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में न्यास से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृति पर लौटाई गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	मृतक कर्मचारियों की संख्या	मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि	सेवानिवृत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों को लौटाई गई राशि
1.	2015	08	1,84,000.00	73	56,663.00
2.	2016	02	23,574.00	22	19,896.00
3.	2017	12	2,34,819.00	53	37,114.00

5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि

कारागार विभाग में सेवाकाल की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक अयोग्यता/असमर्थता की स्थिति में, जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जावे, स्वयं सदस्य को अथवा उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं कल्याण संबंधी कार्यो हेतु कोष-निधि संचालित किया जा रहा है, जिसमें हितकारी सहायता सम्मिलित है। वर्ष 2015 से 2017 तक की अवधि में हितकारी निधि से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय राशि	विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता पर व्यय राशि
1.	2015	2,66,500.00	1,84,000.00
2.	2016	2,96,000.00	72,000.00
3.	2017	96,000.00	5,14,000/-

6. नवाचार

6.1 आशाएं द जेल शॉप :-

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर विक्रय आउटलेट आशायें- दा जेल शॉप का दिनांक 18.01.2017 को माननीय मुख्यमंत्री महो. से उद्घाटन कराया जाकर प्रारम्भ किया जा चुका है। उक्त आउटलेट पर दरियां, पेंटिंग्स, आसन (पूजा) जयपुरी रजाईयां, पेंच वर्क, सांगानेरी पिन्ट की बेड शीट्स, हाथ के पिसे हुए मसाले मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, केण्डल, पेपर बैग्स, स्कर्ट लॉग, पेपरमेशी के पार्ट्स, अगरबत्ती आदि सामान का बिक्री की जाती है, दिनांक 31.12.2017 तक राशि 11,64,687/- रूपये की बिक्री हुई है।

6.2नवीन कारागृहों की स्थापना :-

विचाराधीन बंदियों हेतु केन्द्रीय कारागृह, जयपुर परिसर में 500 बंदी क्षमता का जिला कारागृह, जयपुर दिनांक 23.02.2017 एवं केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर परिसर में 400 बंदी क्षमता का जिला कारागृह, बीकानेर दिनांक 12.04.2017 को प्रारम्भ किया गया है।

6.3सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करना

कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये राज्य की 30 उप कारागृहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करवाये जा रहे हैं।

7. विभाग का स्वीकृत बजट आय, व्यय का विवरण

(i) कारागार विभाग, का वर्ष 2017-18 का स्वीकृत बजट एवं दिसम्बर, 2017 तक कुल वास्तविक व्यय

क्र. सं.	उपशीर्ष		स्वीकृत बजट (राशि लाखों में)	कुल वास्तविक व्यय (लाखों में)
	2056 जेल			
1	2		3	4
1.	001-	निर्देशन एवं प्रशासन	-	-
		राज्य निधि	**1242.26**	**951.30**
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.यो.	-	-
		प्रभृत	-	-
2.	101-	जेल	-	-
	(01)	मुख्य जेले	-	-
		राज्य निधि	**7160.36**	**5857.44**
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.योजना	-	-
		प्रभृत	-	-
	(02)	जिला जेले (राज्य निधि)	**3677.96**	**2666.36**

	(03)	हवालातें (राज्य निधि)	**3332.01**	**2661.08**
	(05)	जम्मू कश्मीर अतिवादियों के रख रखाव पर व्यय (05) कार्यालय व्यय (के.प्र.यो.)	**0.50**	**0.00**
	102	जेल उत्पाद	-	-
	(01)	मुख्य जेले (राज्य निधि)	**75.66**	**56.26**
	(02)	जिला जेले (राज्य निधि)	-	-
	800-	अन्य व्यय	-	-
	(01)	जेल प्रशिक्षण विद्यालय (राज्य निधि)	85.18	70.20
	(02)	किशोर बंदी सुधार गृह (राज्य निधि)	12.35	4.77
	(03)	महिला बंदी सुधारगृह (राज्य निधि)	**172.08**	**113.75**
		नवीन सेवा	-	-
		राज्य निधि	-	-
		राज्य निधि (आयोजना)	-	-
		के.प्र.यो.	-	-
		प्रभृत	-	-
		योग	**15758.36**	**12381.16**

		2059 लोक निर्माण कार्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	1000.00	924.34

(ii) कारागार विभाग का गत 3 वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत बजट (रूपयों में)	वर्ष में हुआ व्यय (रूपयों में)	आय अनुमान (राशि लाखों में)	वास्तविक आय (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1	2015-16	13269.65	8141.19	65.80	25.05
2	2016-17	13773.40	10702.97	130.00	111.31
3	2017-18	15758.36	12381.16	22.52	20.71